



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
HARYANA LABOUR WELFARE BOARD / हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
श्रम कल्याण भवन, बेज न० 29-30, पॉकेट-2, सेक्टर-4, पंचकूला

उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय
Productivity with Social Justice
LABOUR WELFARE BOARD, HARYANA
श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा
शांति, सामंजस्य एवं सुख
Peace, Harmony and Safety

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

सेवा में

01. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन० सी० आर०), गुरुग्राम।
02. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
03. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य।
04. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
05. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य।
06. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
07. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य।

क्रमांक:-

HLWB/REV/2025/ 1306-1530

दिनांक:- 7/3/2025

विषय :

श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 9A के तहत अंशदान सीमा बढ़ाने बारे।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में

हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्र० 12-HLA of 2019/16/3917 दिनांक 22-02-2019 के तहत दिनांक 01-01-2023 से निम्न प्रकार से अनुपालना की गयी थी:-

“(1) प्रत्येक कर्मचारी इकतीस रूपए की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक मास अपने वेतन या मजदूरी या किसी पारिश्रमिक के 0.2 प्रतिशत के बराबर राशि का निधि में अंशदान करेगा तथा प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में नियोक्ता, प्रतिमास ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि का दो दुगना निधि में अंशदान करेगा।

परन्तु उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा को प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रतिवर्ष अनुक्रमित किया जाएगा।”

अर्थात्

“(1) Each employee shall contribute to the Fund every month an amount equal to zero point two percent of his salary or wages or any remuneration subject to a limit of rupees thirty-one and each employer in respect of each such employee shall contribute to the Fund every month, twice the amount contributed by such employee.

Provided that the limit specified above shall be indexed annually to the consumer price index beginning from first of January each year.

उपरोक्त प्रावधान में दिनांक 01-01-2025 से निम्न प्रकार से अनुपालना की जानी है :-

“(1) प्रत्येक कर्मचारी चौतीस रूपए की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक मास अपने वेतन या मजदूरी या किसी पारिश्रमिक के 0.2 प्रतिशत के बराबर राशि का निधि में अंशदान करेगा तथा प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में नियोक्ता, प्रतिमास ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि का दो दुगना निधि में अंशदान करेगा।

परन्तु उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा को प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रतिवर्ष अनुक्रमित किया जाएगा।”

अर्थात्

“(1) Each employee shall contribute to the Fund every month an amount equal to zero point two percent of his salary or wages or any remuneration subject to a लगातार.....


Tel: 91(0172)- 2560226, Toll Free No 18001804818/ दूरभाष : 91 (0172) 2726830, टोल फ्री: 18001804818

E-mail : lwb-hry@nic.in/ ई-मेल : : lwb-hry@nic.in/

Ats
LWB, HRY



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
HARYANA LABOUR WELFARE BOARD / हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
श्रम कल्याण भवन, बेज न० 29-30, पॉकेट-2, सेक्टर-4, पंचकूला



limit of rupees thirty-four and each employer in respect of each such employee shall contribute to the Fund every month, twice the amount contributed by such employee.

Provided that the limit specified above shall be indexed annually to the consumer price index beginning from first of January each year.

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं से उपरोक्त प्रावधान अनुसार अंशदान जमा करवाना सुनिश्चित करें।

श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृ० क्रमांक:- HLWB/REV/2025/ 1531-35

दिनांक:- 7/3/2025

उक्त की एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा।
2. निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महोदय, हरियाणा।
3. निजी सचिव, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
4. निजी सचिव, कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
5. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग, हरियाणा।

श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृ० क्रमांक:- HLWB/REV/2025/ 1536-1785

दिनांक:- 7/3/2025

उक्त की एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को।
3. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
4. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
5. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
6. C.E.O, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, पंचकूला।
7. हरियाणा श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (हरियाणा राज्यार्थ) के अंतर्गत आने वाली सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को।

श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृ० क्रमांक:- HLWB/REV/2025/ 1786-1845

दिनांक:- 7/3/2025

Tel: 91(0172)- 2560226, Toll Free No 18001804818/ दूरभाष : 91 (0172) 2726830, टोल फ्री: 18001804818

E-mail : lwb-hry@nic.in ई-मेल : lwb-hry@nic.in



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
HARYANA LABOUR WELFARE BOARD / हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
श्रम कल्याण भवन, बेज न० 29-30, पॉकेट-2, सेक्टर-4, पंचकूला

उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय
Productivity with Social Justice
LABOUR WELFARE BOARD, HARYANA
श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा
शान्ति, सामंजस्य एवं सुरक्षा
Peace, Harmony and Safety

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोशिएसनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग
दिनांक:- 7/3/2025²

पृ० क्रमांक:- HLWB/REV/2025/ 1846-49

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य-सह-नोडल अधिकारी IT Cell, श्रम विभाग हरियाणा को विभाग की आधिकारिक वेब साइट hrylabour.gov.in पर आवश्यक बदलाव हेतु।
2. श्री मोहित जैन, मैनेजर, IT Team, को विभाग की आधिकारिक वेब साइट hrylabour.gov.in पर आवश्यक बदलाव हेतु।
3. कंप्यूटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
4. सहायक जिला न्यायवादी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।

श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग
2